कार्यालय ज़िला नगरीय विकास अभिकरण, (डूडा) अमरोहा।

पत्रांक– 2664 /डूडा/निविदा/2026–27 दिनांक : 15/5/26

ई0 निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उ०प्र० की ओर से परियोजना निदेशक, डूडा अमरोहा में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु अर्ह एवं ज़िला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में श्रेणी ए, बी, सी मे। पंजीकृत (जैसा आवश्यक हो) प्रतिष्ठित एवं पात्र ठेकेदारों एंव अन्य निविदाताओं जो कार्य के अनुसार तकनीकी एंव मानकों की अर्हता पूण करते है, वह निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते है, यदि कोई निविदादाता डूडा में पंजीकृत नहीं है, से न्यूनतम निविदा प्राप्त होती है, उसे डूडा कार्यालय में नियमानुसार पंजीकरण कराने उपरान्त ही अनुबंध कियाजायेगा। ऐसेनिविदाताओं से भी प्रतिशत दरों पर आधारित निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज़ संख्या 04 में अंकित न्यूनतम आर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली भांति अध्ययन कर लें।

क्रं. सं.	नगरीय क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत (रू० लाख में)	धरोहर धनराशि (रू० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य रू० में+स्टेशनरी चार्ज+जी०ए स०टी०	कार्यपूर्ण करने की अवधि	परियोजना अधिकारी के कार्यालय का पता	परियोजना निदेशक के कार्यालय का पता	जिलाधिकारी के कार्यालय का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जोया	मौ0 अम्बेडकर नगर जाटव कालौनी में जाटव धर्नशाला रोड से फूल सिंह जाटव के मकान तक, चरन सिंह	26.10	2.61	854	6 माह	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा
2	धनौरा	मौ0 गांधीनगर में जगवती के मकान अशोक व दिनेश डीलर के मकान तक एंव मदन सिपाही के मकान से	10.60	1.06	766	6 माह	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा
3	धनौरा	मौ0 गांधीनगर में कैलाश के मकान राजवीर के मकान तक, भूपेन्द्र के मकान से कुवरपाल के मकान तक व कुंवरपाल के मकान से जागन के	19.90	1.99	854	6 माह	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा
4	धनौरा	मौ0 चामुण्डा में अजय के मकान से नौ सिंह सिपाही के मकान तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	14.30	1.43	766	6 माह	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा
5	धनौरा	मौ0 चामुण्डा में सुनील के मकान से रामौतार के मकान तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	14.90	1.49	766	6 माह	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा
6	गजरौला	गजरौला में कारमेल पब्लिक स्कूल से भारत सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	22.60	2.26	854	6 माह	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा
7	गजरौला	गजरौला में भीम सिंह चौहान के मकान से सलेमपुर बाईपास रोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	27.50	2.75	854	6 माह	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा
8	गजरौला	मौ0 भानुपर खालसा गजरौला में भानपुर खालसा रेलवे फाटक से कुलदीप के मकान तक, मौ0 गंगानगर गजरौला में सतीश जाटव के मकान	23.70	2.37	854	6 माह	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा
9	गजरौला	मौ0 अवन्तिकानगर गजरौला में नरेश अग्रवाल के मकान से संजय क्लाथ हाउस तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	15.80	1.58	854	6 माह	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा

10	गजरौला	मौ0 सरस्वती बिहार जवाहर नगर गजरौला में पंकज के मकान से सरिता के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	20.70	2.07	854	6 माह	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा
11	गजरौला	मौ0 तिगरिया भूड गजरौला में शिव मन्दिर से रेलवे फाटक फाजलपुर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	36.00	3.60	854	6 माह	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा	कलैक्ट्रट अमरोहा

नियम एवं शर्ते :–

1. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की अवधि कालम संख्या–7 में अंकित है जिसमें वर्षा ऋतु अवधि भी सम्मिलित है।
2. स्वीकृत हेतु निविदाओं की वैधता अवधि निविदा डालने की अन्तिम तिथि से 90 दिनों तक की होगी। एक बार दी गयी निविदा वापस नहीं ली जा सकती है।
3. प्रत्येक निविदा के साथ कॉलम सं0 06 में अंकित अप्रत्यार्पणीय शुल्क (नॉन रिफन्डेबल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में, उपरोक्त धनराशि के लिये परियोजना निदेशक जिला नगरीय गरीबी उन्मूलन निधि (डूडा) अमरोहा के पक्ष में देय हो, संलग्नक करना अनिवार्य है। इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी कॉलम संख्या 8, 9 एवं 10 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट**http://etender.up.nic.in**से दिनांक 18.05.2026 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 25.05.2026 को 2:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है।
4. डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्रों एवं संबंधित परियोजना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्रों में भिन्नता की स्थिति में कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगी। निविदा डालने हेत निविदादाता को उपरोक्त वेबसाईट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटिल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाईंग प्रधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
5. ई–टेन्डिरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर सबमिट करने की अन्तिम तिथि 25.05.2026 एवं समय मध्यान्ह 2:00 बजे तक है तथा निविदायें दिनांक 25.05.2026 को 03:00 बजे कार्यालय परियोजना निदेशक, डूडा अमरोहा में खोली जायेंगी।
6. यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को कार्यालय बन्द होता है तो उक्त निविदा अगले कार्य दिवस में ऑनलाईन खोली जायेगी तथा निविदा खोलने का समय तथा वैद्यता पूर्ववत् होगा। ऑनलाईन फाईनेन्शियल बिड खोलने हेतु समय एवं तिथि वेबसाईट पर बाद में दर्शाई जायेगी।
7. राज्य/केन्द्र सरकार के डूडा विभाग में अधिकारी या प्रशासनिक कर्तव्य करते हुये सेवा निवृत्त हुये किसी राजपत्रित अभियंता या राजपत्रित अधिकारी को सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक बिना सरकारी अनुमति के ठेकेदार के रूप में कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने उपरोक्त के अनुसार निविदा डालने के पूर्व या ठेकेदार के अधीन कार्य करने से पूर्व सरकारी अनुमति नहीं प्राप्त की है तो ठेका निरस्त किया जा सकता है।
8. कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राज पत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र रकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवानिवृत्ति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकार के अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथपत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
9. धन की उपलब्धता पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी।
10. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।
11. अधोहस्ताक्षरी को निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. ऐसे कार्य जिनकी लागत 10.00 लाख से अधिक हो सारी सूचनाऐं 100 रू० के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर (अनुलग्नक–1) शपथपत्र के साथ देनी होगी। निविदा क्षमता के आंकलन हेतु आवश्यक सूचनाऐ संलग्न होनी चाहिये। प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व संतुष्ट होना चाहिये कि उसकी क्षमता उस कार्य को पूर्ण कराने की है। निविदा क्षमता को आंकलन सेक्शन–3 में अंकित होना चाहिये, जो निविदादाता निविदा क्षमता नही रखता है उसकी निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नही की जायेगी।
13. ऐसे निविदादाता जिनका अपराधिक रिकार्ड है वह निविदा प्रक्रिया में भागीदारी नही कर सकते है।
14. ऐसे निविदादाता जो कि राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत है को निविदा प्रक्रिया में भागीदारी की अनुमति नही है।

15 प्रत्येक निविदादाता को निविदा के मूल्यांकनहेतु रू० 100.00 नॉन जुडिशीयल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र पर शपथपत्र ऑनलाइन एवं मूल में देना अनिवार्य है।

16. कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है। जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा।

17. कोई भी ठेकेदार अपनी निविदा किसी को बेच नही सकता।

18. कार्यो पर प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री जैसे फाइन सैण्ड, कोर्स सैण्ड, 20 एम.एम. स्टोनग्रिट आदि की आपूर्ति से सम्बन्धित एम.एम.–11 प्रपत्र जमा करना अनिवार्य है। वैध प्रपत्र एम.एम.–11 जमा न करने की स्थिति में शासनादेश संख्या –3385/86–2015–292/2015 दिनांक 15–10–2015 एवं शासनादेश संख्या 15/2016/3089/86–2016–292/2015 दिनांक 20–10–2016 के नियमानुसार बीजक में से रायल्टी की वसूली की जायेगी।

19. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल पर एवं कार्य की परिस्थितियों से भलीभांति भिज्ञ हो लें।

20 विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत /निरस्त कर सकता है।

21. अनुबंध गठित करते समय ज़मानत राशि निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तरप्रदेश लखनऊ के पत्रांक जी–46 दिनांक 26.06.2012 द्वारा अग्रसारित शासनादेश दिनांक 08.06.2012 में दिये गये निर्देशानुसार जमा करनी होगी।

22. शासनादेश संख्या 383/36–2–2010 श्रम विभाग अनुभाग–2 दिनांक 26–02–2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवंसेवा शर्त विनियम) नियमावली 2009 के अन्तर्गत निविदादाता/वेण्डर को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसलिये समस्त पात्र ठेकेदारों को अनुबंध गठन से पूर्व अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे समस्त श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर प्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा जारी की गयी स्वीकृति वापिस ले ली जायेगी।

23. शासनादेश संख्या–419/2019/1264/69–1–2019–14(34)/2019 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार डूडा में पंजीकृत निविदादाता/वेण्डर एवं अन्य निविदादाताओं जो कार्य के अनुसार तकनीकी व वित्तीय मानको के अर्हता पूर्ण करते हैं वह निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यदि कोई निविदादाता जो डूडा में पंजीकृत नही है से न्यूनतम निविदा प्राप्त होती है, तो उसे जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की ठेकेदारों की सूचीबद्धता/पंजीकरण हेतु गाईडलाईन्स दिनांक 22.08. 2017 का पालन करना होगा।

24. निर्माण कार्य की निविदा के साथ ठेकेदार को अपने जी०एस०टी० पंजीकरण की सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है।

25 लेबर सेस की कटौती एक प्रतिशत की दर से ठेकेदार के देयक से की जायेगी।

26. धरोहर धनराशि शासनादेश संख्या 622/23–12–2012–2आडिट/08 टी0सी0–2 दिनांक 08–06–2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही ली जायेगी।

27 निविदादाता/वेण्डर के लिये वैबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदादाता वैबसाइट पर अपना मोबाइल नं० तथा ई–मेल पता देना सुनिश्चित करें।

28 सी०सी०रोड/इण्टरलाकिंग टाइल्स की गारण्टी अवधि 05 वर्षहोगी।

29 अनुबन्ध गठन के समय ठेकेदार को निर्माण कार्य की लागत का 5 प्रतिशत (5 प्रतिशत धरोहर राशि के अतिरिक्त) जमानत धनराशि निविदा प्रपत्र (बिडिंग डाक्यूमेंट) में निर्धारित किसी एक रूप में देनी होगी।

महामहिम राज्यपाल उत्तरप्रदेश की ओर से।

0/12/5/26

(मसीहा नज़म)
डिप्टीकलैक्टर/परियोजना अधिकारी
ज़िलानगरीय विकास अभिकरण (डूडा)
अमरोहा।

(गरिमा सिंह)
अपरज़िलाधिकारी/परियोजनानिदेशक
ज़िला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)
अमरोहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by DEEPAK KUMAR
Date: 2026.05.19 13:08:18 IST
Location: Uttar Pradesh-UP